न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—69/2019/223 आर.टी.एक्ट (2019/00069)

1. नन्दकिशोर पुत्र रामस्वरूप
2. किशनलाल पुत्र महावीर

समस्त जाति माली, निवासी ग्राम बोराड़ा, तहसील सरवाड़ा, जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. सीतादेवी पत्नी रामप्रसाद पुत्री स्व0 बजरंगदास, जाति साधू निवासी बोराडा हाल निवासी काटोली, तहसील मालपुरा जिला टोंक।
2. प्रेमदेवी पत्नी मोहनदारा पुत्री स्व0 बजरंगदास, जाति साधू निवासी बोराडा हाल निवासी काटोली, तहसील मालपुरा जिला टोंक।
3. श्रीमती गोकली पत्नी स्व0 बजरंगदास **(फौत) नाम तर्क**
4. भंवरलाल पुत्र बजरंगदास
5. राधेश्याम पुत्र बजरंगदास
6. लाला राम पुत्र बजरंगदास
7. श्रीमती सुशीला पत्नी गोपाल
8. राजू पुत्र गोपाल

समस्त जाति साधू, निवासी बोराड़ा, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर।

9. कैलाश दास पुत्र मदनलाल जाति साधू निवासी देवानी तहसील व जिला टोंक।
10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, सरवाड़ जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2018 उपखण्ड अधिकारी सरवाड़, राजस्व वाद संख्या 64/2018

उपस्थितः—

1. श्री राकेश अरोडा, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री आशीष जैन, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 6 व 9.
3. श्री विजय सिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1,3,7,8.
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 10.
5. रेस्पोडेंट संख्या 2, 4, 5 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—30.11.2022

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा प्रकरण संख्या 64/2018 में पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 30.06.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 व 209 बाबत खातेदारी घोषणा एवं इंद्राज दुरूस्ती तथा स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया। वाद—पत्र को दर्ज

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। वाद पत्र में न्यायालय द्वारा दिनांक 7.5.2018 को दर्ज कर दिनांक 22.6.2018 की पेशी नियत की गई है एवं दिनांक 22.6.2018 को न्याय आपके द्वार राजस्व केम्प हेतु पेशी दिनांक 30.6.2018 नियत की गई। पेशी दिनांक 30.6.2018 को आगामी पेशी प्रकरण में दिनांक 8.8.2018 की नियत की गई एवं उक्त पेशी पर वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 तथा रेस्पोडेंट संख्या 8 व रेस्पोडेंट संख्या 3 की हाजरी अंकन करते हुए मात्र वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को सुना जाकर वादग्रस्त आराजीयात में संयुक्त रूप से 1/7 हिस्से का खातेदार घोषित कर स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति प्रदान किए जाने बाबत आदेश पारित किए गए है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,सरवाड़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2018 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 द्वारा राजस्व वाद एवं राजस्व प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किए निर्णय पारित किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार से दिनांक 7.6.2018 को वादग्रस्त आराजीयात को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया उक्त आधार पर राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 9 को भी प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया जाकर राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया है जिसमें एक पक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 30.6.2018 पारित किया गया है। जिससे प्रार्थीगण के हक एवं अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। वर्तमान में पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थीगण को उक्त वादग्रसत आराजीयात के बाबत राजस्व रिकार्ड में डिक्री के आधार में अमल दरामद किए जाने बाबत जानकारी दिए जाने पर प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष स्वयं के अधिकारों की रक्षार्थ उक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि उपखण्ड अधिकारी, सरवाड द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.6.2018 के विरूद्ध न्यायालय में अपीलार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति न्यायहित में प्रदान करावें।

5. अभिभाषक अपीलांट ने तत्पश्चात् प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 7.5.2018 को प्रस्तुत राजस्व वाद में दिनांक 30.6.2018 को नोटिस जारी कर पेशी दिनांक 8.8.2018 की नियत की गई है एवं उक्त पेशी से पूर्व ही दिनांक 30.6.2018 को राजस्व वाद को डिक्री किए जाने के आदेश पारित कर दिए गए है। राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदारान रेस्पोडेंट संख्या 9 को पक्षकार के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है। उक्त रेस्पोडेंट संख्या 9 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात का बेचान अपीलांट को दिनांक 7.6.2018 को किया गया है। जिसके आधार पर अपीलांट वादग्रस्त आराजीयात पर बहैसियत खातेदार काबिज चले आ रहे है। जिन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किए निर्णय व डिक्री दिनांक 30.6.2018 पारित किए गए है। रेस्पोडेंट द्वारा धमकी दिए जाने एवं बुवाई में रूकावट किए जाने पर अपीलांटस द्वारा आपत्ति की गई जिस पर उनके द्वारा स्वयं के पक्ष में निर्णय व डिक्री दिनांक 30.6.2018 को पारित होने व उक्त जमीन को स्वयं के हिस्से में आने बाबत धमकाया गया। जिस पर अपीलांटस द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया गया व प्रमाणित प्रति तैयार कर अपीलांटस को प्रदान कि गई जिसके पश्चात अन्य दस्तावेज व रूपए पैसों की व्यवस्था कर अधिवक्ता से सम्पर्क कर जानकारी की दिनांक से अंदर मियाद उक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन व प्रस्तुत राजस्व वाद में स्थित आराजीयात खसरा संख्या 920/1, 921/2 कुल किता 3 रकबा 0.1500 हैक्टर एवं 924/2 रकबा 0.1700 हैक्टर भूमि में से 0.1400 हैक्टर भूमि तथा खसरा संख्या 922 रकबा 0.06 हैक्टर भूमि में से 1/5 हिस्सा बाबत विक्रय पत्र अपीलांट संख्या 1 के नाम तथा आराजीयात खसरा संख्या 924/2 रकबा 0.17 हैक्टर भूमि में से 0.0300 हैक्टर भूमि का बेचाननामा जमाबंदी में दर्ज खातेदार कैलाशदास पुत्र मदनलाल जिसके द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 6 से उक्त आराजीयात को क्रय किया गया है अपीलांट को दिनांक 7.6.2018 को बेचान की गई है एवं अपीलांट वादग्रस्त आराजीयात पर बहिस्सा खरीद करने की दिनांक से खातेदार की हैसियत से काबिज है। अपीलांट एवं जमाबंदी में दर्ज खातेदार विक्रेता कैलाशदास के पुत्र मदनलाल को प्रकरण में पक्षकार बनाए बिना राजस्व वाद विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एकमात्र रेस्पोडेंट संख्या 3 तथा 8 द्वारा सहमति प्रदान की गई है, एवं प्रस्तुत राजस्व वाद को डिक्री किए जाने के आदेश पारित किए गए है। रेस्पोडेंट संख्या 6 लालाराम पुत्र बजरंगदास द्वारा स्वयं की खातेदारी का निहित 1/5 हिस्सा जरिए विक्रय पत्र कैलाशदास को विक्रय किया गया है एवं कैलाशदास के नाम नामांतरकरण संख्या 1810 दिनांक 16.8.2016 से राजस्व अभिलेख में अंकन किया गया है एवं उक्त खातेदार द्वारा अपीलांट को जरिए पंजीकृत बेयनामा दिनांक 7.6.2018 को वादग्रस्त आराजीयात का बेचान किया गया है। जमाबंदी में दर्ज खातेदारान को पक्षकार बनाए बिना रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 वादीगण द्वारा राजस्व वाद विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 7.5.2018 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें पेशी दिनांक 22.6.2018 की दर्ज कर नियत की गई व दिनांक 22.6.2018 को पेशी दिनांक 30.6.2018 की नियत की गई है व दिनांक 30.6.2018 को आगामी पेशी दिनांक 8.8.2018 नियत किए जाने के उपरांत भी उक्त पेशी बाबत नोटिस पक्षकारान को जारी किए जाने के उपरांत भी पेशी से पूर्व दिनांक 30.6.2018 को ही प्रकरण में पुनश्चः कर प्रस्तुत वाद पत्र को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना राजस्व केम्प में डिक्री किए जाने के आदेश पारित किए गए है। रेस्पोडेंटस के मध्य पारिवारिक राजीनामा हो रखा है, जिस अनुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से पर काबिज है। रेस्पोडेंटस संख्या 1 व 2 वादीगण को उक्त संदर्भ में समस्त जानकारी होने के उपरांत भी अवैध रूप से राजस्व न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें बिना पक्षकारान की सुनवाई किए एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित किए जाने में त्रुटि कारित की गई है। रेस्पोडेंट संख्या 3 लगायत 8 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वयं के द्वारा तलबी हेतु नोटिस जारी किए जाने के आदेश पारित किए है, किंतु किसी प्रकार की तामिली जारी नहीं कर एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित कर अपीलांट क्रेतागण को उसके अधिकारों से महरूम किया गया है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,सरवाड़ द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

पारित आदेश निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2018 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक ने अपने समर्थन में आर0बी0जे0 (27)2020 पेज 162, आर0बी0जे0 (23)2016 पेज 547, आर0आर0टी0 2019 (2)पेज 1206, आर.आर.डी. 1998 पेज 319, आर. आर.टी. 2004 पेज 376 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 के जवाब/बहस में कथन किया कि अप्रार्थी/वादी संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद दिनांक 7.5.2018 को प्रस्तुत किया गया है, तथा प्रार्थीगण द्वारा इस मद में अपने कथनानुसार वादग्रस्त आराजीयात को दिनांक 7.6.2018 को खरीद किया जाना उल्लेखित किया है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण वाद प्रस्तुती के समय न तो व्यथित पक्षकार था तथा ना ही वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किए जाने का कोई विधिक हक अथवा अधिकार प्राप्त है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नियमित वाद के विचाराधीन रहते किया गया हस्तांतरण विलेख जो सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 52 के अधीन प्रथम दृष्टया ही प्रभावहीन दस्तावेज की श्रेणी में होने से प्रार्थीगण द्वारा अपने आपको विक्रय विलेख दिनांक 7.6.2021 के आधार पर न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुती का कोई विधिक हक अथवा अधिकार प्राप्त नहीं होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी कानून पोषणीय नहीं होकर खारिज किए जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद एवं प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण को विना सुनवाई का अवसर प्रदान किए, विना पक्षकार सम्मिलित किए निर्णय पारित किया है जिससे प्रार्थीगण के हक व अधिकार प्रभावित हो रहे है। अतः प्रार्थीगण को आपेक्षित निर्णय के विरूद्ध अपील पेश करने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय मूल अपील खारिज किए जाने के आदेश फरमावें, जो कि न्यायसंगत एवं विधि सम्मत होगा।अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने अपने समर्थन में 2020 आर.बी.जे. पेज 569 को न्यायिक दृष्टांत पेश किया है।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने तत्पश्चात प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के जवाब/बहस में कथन किया कि अप्रार्थी/वादी संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वादग्रस्त दिनांक 7.5.2018 को प्रस्तुत किया गया है, तथा प्रार्थीगण के कथनानुसार वादग्रस्त आराजीयात के मुतल्लिक हस्तांतरण दस्तावेज दिनांक 7.6.2018 को रेस्पोडेंट संख्या 9 द्वारा खरीद किया जाना उल्लेखित किया है। इस प्रकार उक्त रेस्पोडेंट संख्या 9 को वादग्रस्त आराजी के मुतल्लिक अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वाद की जानकारी होना से प्रार्थीगण से आपसी–मिलीभगती कर एवं बदनीयती पूर्वक आपस में हस्तांतरित किया है। बनावटी कथनों पर यह अपील करीब 9 माह यानि 265 दिवस पश्चात प्रस्तुत की है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

9. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01, 02, 3 ,7 व 08 ने अपनी जवाब/बहस अपील में आगे कथन किया कि अप्रार्थीगण का उक्त भूमि में संयुक्त हिस्सा निहित है लेकिन वादीगण जबरन रूप से अप्रार्थीगण को भूमि से बेदखल करने पर उतारू हो रहे है जबकि अप्रार्थीगण का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। राजस्व अधिकारियों द्वारा नियमों के विरूद्ध मनगाने ढंग से अप्रार्थीगण स्व0 बजरंगदास की विधिक वारिस होते हुए भी विरासत नामांतरकरण में दर्ज नहीं किया गया तथा उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

भूमि एकमात्र वादीगण के नाम दर्ज होने से वादीगण उक्त भूमि को बेचान करने पर आमादा है तथा वादीगण ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगती कर राजस्व रिकार्ड में गलत तरीके से बंटवारा करवा लिया है जबकि मौके पर किसी प्रकार का बंटवारा नहीं है। अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से उक्त भूमि मे काबिज होकर अपने हिस्से को काश्त करते आ रहे हैं, लेकिन रिकार्ड में प्रतिवादी का नाम दर्ज नहीं होने से वादीगण प्रतिवादीगण को जबरन भूमि से बेदखल करने व कब्जा करने पर आमादा है। इसलिए प्रतिवादीगण को वादवर्णित आराजीयात में प्रत्येक को 1/7 हिस्सा का खातेदार/काश्तकार घोषित किया जाकर वादीगण के साथ राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बहस में कथन किया कि वादिया एवं प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदारी अधिकार निहित हो चुके है। इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा बदनीयति पूर्वक वादिया को उनके संयुक्त हक हिस्से से बेदखल करने पर आमादा होने एवं रिकार्ड में केवल उनका नाम दर्ज होने एवं वादग्रस्त आराजी का अन्यत्र बय–बेचान एवं हस्तातंरण करने पर आमादा होने पर उक्त वाद प्रस्तुत किया गया। दिनांक 30.11.2018 को वादीगण एवं प्रतिवादीगण उपस्थित हुए तथा पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से दावे का निस्तारण किये जाने एवं लोक अदालत की भावना से वादपत्र को आपसी सहमति से स्वीकार किया जाकर वादीगण को वादग्रस्त आराजी में उनके हक व हिस्से का खातेदार उद्घोशित किया जाकर वादपत्र डिक्री किया गया है। रेस्पोडेन्ट/वादी संख्या 01 व 2 जो कि पूर्व खातेदार बजरंगदास की जायन्दा पुत्रियां है तथा प्रत्येक वारिसा पुत्र–पुत्रियों एवं पत्नि को पैत्रिक खातदोरी भूमि में कानूनन स्वतः ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अधीन प्रथम श्रेणी में उत्तराधिकारी होने से संयुक्त खातेदार काश्तकार हो चुके है इस प्रकार वर्तमान अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्टस संख्या 06 व8 द्वारा आपसी मिली–भगती कर रेस्पोडेन्ट के विधिक खातेदारी हकों एवं अधिकारों की दुर्भावना से वादगस्त भूमि का हस्तातंरण दिनांकित 07.06.2018 को वाद के लंबित रहते अपीलांटस ने अपने पक्ष में होना अपील के पैरा संख्या 3 में किया है, कि जिससे वर्तमान अपीलांटस द्वारा उनके पक्ष में कराया गया हस्तातंरण प्रारम्भ से ही अवैध एवं शून्य दस्तावेज की श्रेणी में होने से मौजूदा अपील माननीय न्यायालय के समक्ष कानूनन पोषणीय नहीं होकर खारिज किये जाने योग्य है। प्रकरण का आपसी सहमति से राजीनामें के आधार पर किया जाकर रेस्पोडेन्ट/वादिया संख्या 01 व 2 जो कि खातेदार बजरंगदास की जायन्दा संतान/पुत्रिया होने की पुष्टि कर उनके विधिक हक व हिस्से का खातेदार घोषित कर प्रकरण का निस्तारण किया गया है जो न्यायोचित एवं विधि सम्मत है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने अपने समर्थन में 2018 आर.बी. जे. पेज 725, आर.बी.जे. (25) 2018 पेज 140,ए.आई.आर. 2005 सप्रीम कोर्ट पेज 3575 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

10. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 06, 09 ने दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान की प्रोपर तामील नहीं करवाया गया तथा पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए सहमति लिखते हुए निर्णय व डिक्री पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

11. हमने अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वादग्रस्त आराजी को अपीलांटस ने रिकार्डेड खातेदार काश्तकार से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदशुदा है अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने दावा पेश करते समय अपीलांटस को दावे में पक्षकार मुर्तिब नहीं किया इसलिए अपीलांटस उपखण्ड अधिकारी, सरवाड के निर्णय दिनांक 30.6.2018 प्रभावित एवं व्यथित पक्षकार है, ऐसी स्थिति में अपीलाटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 स्वीकार किया जाना उचित समझते है। **अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण/अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,सरवाड़ के निर्णय/डिक्री दिनांक 30.06.2018 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।**

12. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं क्योंकि प्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था प्रार्थीगण द्वारा धारा 96 जा0दी के साथ उक्त अपील पेश कि है अपीलांटस वादग्रस्त आराजीयात को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदशुदा है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामा करते समय अपीलांट को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया जिससे अपीलांटस को उक्त निर्णय की जानकारी होना संभव नहीं है। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर वर्णित कारण संतोषजनक एवं सदभाविक होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना उचित समझते हैं। **अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार कि जाती है।**

13. हमने अपील के गुणावगुणों पर अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय ने केम्प कोर्ट में राजीनामा से निर्णय किया है जिसमें सभी पक्षकारों की सहमति बाबत हस्ताक्षर नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में सभी पक्षकारों को समुचित तामिल भी नहीं थी ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत प्रतीत नहीं होने से तथा अपीलांटस जो कि जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से वादग्रस्त आराजी का क्रेता होकर काबिज काश्त है को बिना पक्षकार मुर्तिब किए पत्रावली को केम्प कोर्ट में नियत कर सभी पक्षकारान की समुचित तामिल करवाए बिना एवं सभी पक्षकारान की सहमति लिए बगैर पत्रावली को राजीनामे से निर्णय करने में कानूनी त्रुटि कारित की है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.6.2018 विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किए जाने योग्य है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

14. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, सरवाड द्वारा प्रकरण संख्या 64/2018 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे अपीलांटस को वाद में प्रतिवादी के

उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

रूप में संयोजित कर वाद को पुनः दर्ज कर वादी व प्रतिवादीगण की सम्यक तामिल करवाकर प्रतिवादीगण से जवाब प्राप्त कर दावे व जवावदावे के आधार पर तनकियात कायम कर तनकियात पर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करें। पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.1.2023 को उपस्थिति होने हेतु पावंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

15. निर्णय आज दिनांक 30.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर